

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ-2-4/स्था/10-11/

3645

भोपाल, दिनांक

22/4/11

//आदेश//

निम्नलिखित सर्वेयर संवर्ग के कर्मचारी को स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित स्थान पर अन्य आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	स्थानांतरण स्थल	स्था0 का आधार
1	2	3	4	5
1	श्री आर0 एस0 पुष्कर	कार्या0 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नीमच जिला नीमच	कार्या0 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, खरगोन जिला खरगोन	प्रशासनिक

स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र.एफ-6-1/2011/एक/9, भोपाल, दि. 20.4.2011 के निर्देशों का पालन किया गया है।

स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाये। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे स्थानांतरण अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने के तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जायेगा।

जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी हों, उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जाये।

स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम का लाभ उठाने पर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवापुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एच ईम्प्लॉय कोड/डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे।

स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

कर्मचारी को गृह तहसील/विकासखण्ड छोड़कर पदस्थापना की जावे। यदि वृत्तिवश किसी कर्मचारी की उक्त शर्त के आधार पर आदेश जारी हो गये हो तो उन्हें यह आदेश वितरित न किया जावे।


संचालक,


किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0, भोपाल

- //2//

क्रमांक/अ-2-4/स्था/10-11/ 3646
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

भोपाल, दिनांक :- 22/7/11

- 1- विशेष सहायक मा. कृषि राज्य मंत्री, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग भोपाल की ओर टीप क्र० 144 एजी दि. 11-7-11 के संदर्भ में ।
- 2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 3- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग उज्जैन/इंदौर, म०प्र०
- 4- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास नीमच/खरगोन, मध्यप्रदेश ।
- 5- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नीमच/खरगोन, मध्यप्रदेश ।
- 6- कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल ।
- 7- निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म०प्र०, भोपाल ।
8. संबंधित श्री आर० एस० पुष्कर, सर्वेयर द्वारा सरल क्रमांक-- 5
9. आदेश गस्ती ।


संयुक्त संचालक कृषि (स्था०)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म०प्र०, भोपाल